राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2385831, 2227555, 2227602 FAX, Toll Free Help Line 15100)

क्रमांकः F.7(197)/RSLSA/Estt. Cont. Vehicle/2018-19/ 1/2019-20 दिनांकः 13.05.2019

वाहन किराये पर लेने हेतु प्रस्ताव आमंत्रण

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्यालय हेतु 03 (सम्पूर्ण राज्य के क्षेत्राधिकार हेतु) एवं 35 (सम्पूर्ण जिलों के क्षेत्राधिकार हेतु) न्याय क्षेत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए बोलेरो वाहन (वातानुकूलित) किराये पर लेने हेतु प्रतिष्ठित एवं अनुभवी व्यक्तियों/वाहन स्वामियों/ठेकेदार/फर्म से मुहरबंद प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। विस्तृत जानकारी कार्यालय के सूचना पट्ट पर/विभागीय बेवसाईट www.rlsa.gov.in एवं राज्य लोक उपापन पोर्टल वेबसाईट https://sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 24.05.2019 को दोपहर 12:30 बजे तक होगी।

निदेशक
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2385831, 2227555, 2227602 FAX, Toll Free Help Line 15100)

वाहन किराये पर लेने की सूचना– 1/2019–20/ दिनांक 13.05.2019

इस विभाग में जयपुर मुख्यालय के लिए 03 एवं अधीनस्थ सभी जिला न्यायक्षेत्र मुख्यालय कार्यालयों हेतु 35, कुल 38 बोलेरो वाहन (7 सीटर वातानुकुलित) किराये पर लिए जाने हेतु प्रतिष्ठित, अनुभवी व्यक्ति वाहन स्वामी/ठेकेदार/फर्म से मुहरबंद प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र. सं.	किराये पर लिए जाने वाले वाहन का विवरण	क्षेत्राधिकार	अनुमानित लागत	अन्य विवरण
01.	03, बोलेरो वाहन (7 सीटर वातानुकुलित) (सम्पूर्ण राजस्थान प्रदेश के लिए वाहन किराया लेने बाबत्)	समस्त राजस्थान	3 x 10 (माह) x 33,000 (मासिक किराया प्रत्येक वाहन) = 9,90,000/–	
02.	35, बोलेरो वाहन (7 सीटर वातानुकुलित) (प्रत्येक जिला न्यायक्षेत्र के सम्पूर्ण जिला के लिए वाहन किराया लेने बाबत्)	सम्पूर्ण जिला न्यायक्षेत्र	35 x 10 (माह) x 28,500 (मासिक किराया प्रत्येक वाहन) = 99,75,000/–	
03.	01 बोलेरो वाहन (वातानुकूलित, एक जिले के जिला न्यायक्षेत्र के लिए वाहन किराया लेने बाबत्) **(नोट– 2 या अधिक जिलों के लिए निविदा प्रस्तुत करने के लिए जिलों के गुणंक के अनुसार अमानत राशि देय होगी)**	सम्पूर्ण जिला न्यायक्षेत्र	01 x 10 (माह) x 28,500 (मासिक किराया प्रत्येक वाहन)	

पूर्ण रूप से भरे हुई सीलबंद प्रस्ताव दिनांक 24.05.2019 को दोपहर 12:30 बजे तक कार्यालय में जमा कराए जा सकते हैं। विस्तृत सूचना एवं दस्तावेजात विभागीय वेबसाईट www.rlsa.gov.in एवं राज्य लोक उपापन पोर्टल वेबसाईट https://sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

निदेशक
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर

किराये के वाहन हेतु प्रस्ताव पत्र

1. प्रस्तावक का नाम व पूरा पताः ....

   ....

   ....

2. दूरभाष नं.: ....
3. सन्दर्भः प्रस्ताव मांगे जाने की सूचना संख्या : .... दिनांक ....
4. किराये के वाहन उपलब्ध करवाये जाने हेतु विभाग की समस्त निबन्धनों एवं शर्तों की पालना करने में मैं/हम सहमत हैं तथा सभी शर्तों एवं निबन्धनों, जो संलग्न पृष्ठों में दी गई है, को मेरे/हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप मैंनं/हमने हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।
5. मेरे/हमारे द्वारा कुल .... वाहन किराये पर उपलब्ध करवाने हेतु इस प्रपत्र के साथ संलग्न परिशिष्ठ–A में स्थान व वाहन का विवरण अंकित कर दिया गया है।
6. इस प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 31.03.2020 तक की अवधि तक वाहन उपलब्ध करवाये जाने हेतु बाध्य है।
7. फर्म का जी.एस.टी. पंजीयन क्रमांक ....
8. PAN No. ....
9. पिछले 3 वर्षों के कार्य का विवरण ....

   ....

   ....

   ....

   ....

   ....

   ....

   ....

   ....

   ....

   ....

प्रस्तावक के हस्ताक्षर व मोहर
मय पता व फोन नम्बर

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर

शर्तें एवं शरायतें

1. विभाग को कुल 38 वाहन (बोलेरो वातानुकूलित 7 सीटर) किराये पर लिए जाने हैं। 03 (तीन) वाहन का क्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान होगा तथा 35 वाहनों को राज्य के पृथक–पृथक मुख्यालय/प्रत्येक जिला न्यायक्षेत्र मुख्यालय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में उपलब्ध करवाना होगा, जिनका क्षेत्राधिकार संबंधित सम्पूर्ण जिला होगा।
2. किराये के वाहन 31.03.2020 तक की अवधि में उपलब्ध करवाये जाने होंगे, परन्तु परिस्थिति व सहमति से इस अवधि की संतोषप्रद सेवाएं रहने पर अनुबन्ध अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है।
3. प्रस्तावक एक या अधिक वाहनों का किराये पर उपलब्ध करवाने हेतु अपने प्रस्ताव दे सकता है, जिसमें जिला न्यायक्षेत्र मुख्यालय का नाम अंकित करना आवश्यक होगा, जिसमें वाहन उपलब्ध करवाया जाना है।
4. प्रस्ताव किसी भी व्यक्ति स्वामी/फर्म/ट्रेवल एजेन्सी द्वारा दिए जा सकते हैं।
5. उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहन टैक्सी (TAXI) के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए।
6. वाहन 6 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में सक्षम स्वीकृति से उक्त अवधि का 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।
7. वाहन मालिक का वाहन चालक स्वच्छ पोशाक में होगा एवं वाहन को साफ–सुथरा रखेगा।
8. वाहन चालक वैध वाणिज्य वाहन (Commercial Vehicle) चलाने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा पत्र धारक होना आवश्यक है।
9. वाहन मालिक को किराये पर उपलब्ध करवाये गए वाहन पर एक प्लेट यह उद्यत करते हुए कि वाहन राजकीय कर्त्तव्य पर है, उपलब्ध करवानी होगा।
10. वाहन को यथा संभव कार्यालय परिसर में ही खड़ा किया जावेगा (लेकिन जोखिम वाहन मालिक की होगी)
11. वाहन के प्रभारी अधिकारी द्वारा वाहन के कर्त्तव्य का समय निर्धारित किया जावेगा। वाहन के उपयोग हेतु कर्त्तव्य स्थान (Duty Point) से दूरी व समय की गणना के अनुसार वाहन की लॉग बुक भरी जावेगी। लॉग बुक निर्धारित प्रारूप में वाहन मालिक को वाहन के साथ उपलब्ध करवानी होगी।
12. वाहन मालिक द्वारा किसी दिनांक को वाहन उपलब्ध नहीं करवाया जाता है तो शस्ति रु. 2,000/– (दो हजार रुपये) प्रतिदिन आरोपित की जावेगी तथा किराये पर अन्य वाहन लेने की स्थिति में यदि अतिरिक्त भुगतान किया जाता है तो अधिक भुगतान की वसूली वाहन स्वामी से की जावेगी।
13. वाहन की मरम्मत, पेट्रोल/डीजल/ऑयल आदि व्यय वाहन स्वामी द्वारा वहन किया जावेगा।
14. प्रत्येक वाहन में जी.पी.एस. का Installation अनिवार्य होगा तथा इसकी Monitoring राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के द्वारा की जावेगी।
15. वाहन मालिक को वाहन का किराया वित्त विभाग के परिपत्रों (यथासंशोधित) की शर्तों के अनुसार निम्न दरों पर किया जावेगाः–
    i. जिला न्यायक्षेत्र मुख्यालय हेतु 35 वाहनों हेतु 2000 किलोमीटर के लिए रु. 28,500/– प्रति मास (जी.एस.टी. अतिरिक्त यदि लागू है)

ii. सम्पूर्ण राज्य हेतु 2500 किलोमीटर के लिए 33,000/- प्रति मास (जी.एस.टी. अतिरिक्त यदि लागू है)

iii. प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर की दर परिपत्रों के अनुसार।

16. यदि वित्त विभाग उक्त दरों में भविष्य में या अनुबन्ध अवधि में कोई संशोधन किया जाता है तो संशोधित दरों से भुगतान किया जावेगा।

17. उक्त भुगतान योग्य राशि के अतिरिक्त पथकर का पुनर्भरण वाहन स्वामी को पथकर की रसीद प्रस्तुत करने पर किया जावेगा। पथकर के अलावा समस्त कर वाहन स्वामी द्वारा वहन किये जावेगें।

18. सभी विधिक कटौतियां जैसे आयकर (टी.डी.एस.) सेवाकर इत्यादि, भुगतान के समय लागू विधि/नियमों के अनुसार की जाकर भुगतान किया जावेगा।

19. किराये पर लिया गया वाहन राज्य में किसी भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में कहीं भी उपयोग में लिया जा सकता है, परन्तु यदि किसी जिले विशेष का प्रस्ताव दिया गया है तो वाहन को उसी जिले में अनुबन्धित करने पर प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यालय के अलावा किसी अन्य स्थान पर रात्रि विश्राम के मामले में चालक को प्रति रात्रि 300/- भुगतान की जावेगी।

20. सफल प्रस्तावक (वाहन प्रदाता) को 500/- के Non-Judicial Stamp Paper पर अनुबन्ध का निष्पादन करना होगा।

21. चूंकि यह निविदा प्रस्ताव नहीं है तथा वाहन किराये पर लिए जाने हेतु पैनल तैयार किया जाना है, अतः प्रस्ताव के साथ प्राप्त हुए दस्तावेजों एवं कार्य अनुभव एवं अन्य बातों को मद्देनजर रखते हुए गुणावगुण के आधार वाहन किराये पर लिए जाने का अंतिम निर्णय विभागाध्यक्ष का होगा।

22. इच्छुक प्रस्तावक अपना प्रस्ताव संलग्न प्रारूप में भरकर नियत तिथि दिनांक 24.05.2019 तक निम्न दस्तावेजों के साथ प्राधिकरण के कार्यालय जयपुर अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जहां वाहन अनुबन्धित होना है) कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेगाः-

i. वाहन किराये पर लिए जाने की शर्तें, जिसे स्वीकार करने के साक्ष्य स्परूप प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर मय सील के करने होंगे।

ii. किराये पर उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहनों का पंजीयन प्रमाण पत्र, बीमा एवं पॉल्यूशन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।

iii. वाहन चालकों के नाम व उनके वैध अनुज्ञा पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।

iv. पिछले 3 वर्षों का राजकीय कार्यालयों/विभागों में वाहन किराये पर उपलब्ध करवाये जाने के प्रमाण स्वरूप दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां।

v. प्रस्तावक के जी.एस.टी. एवं PAN की प्रमाणित फोटो प्रतियां।

vi. जी.एस.टी. का शोधन प्रमाण पत्र। (Tax Clearance Certificate)

23. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।

प्रस्तावक के हस्ताक्षर व मोहर
मय पता व फोन नम्बर

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर

जिलावार (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) वाहनों की सूची

क्र. सं.	जिले का नाम	किराये के वाहनों की संख्या	अन्य विवरण वाहनों का पंजीयन संख्या (प्रस्तावक द्वारा भरा जाएगा)
01.	अजमेर	01	
02.	अलवर	01	
03.	बालोतरा (बाड़मेर)	01	
04.	बांसवाड़ा	01	
05.	बांरा	01	
06.	भरतपुर	01	
07.	भीलवाड़ा	01	
08.	बीकानेर	01	
09.	बूंदी	01	
10.	चित्तौड़गढ़	01	
11.	चूरू	01	
12.	दौसा	01	
13.	धौलपुर	01	
14.	डूंगरपुर	01	
15.	गंगानगर	01	
16.	हनुमानगढ़	01	
17.	जयपुर	02	
18.	जैसलमेर	01	
19.	जालौर	01	
20.	झालावाड़	01	
21.	झुंझुनू	01	
22.	जोधपुर	02	
23.	करौली	01	
24.	कोटा	01	
25.	मेड़ता (नागौर)	01	
26.	पाली	01	
27.	प्रतापगढ़	01	
28.	राजसमंद	01	
29.	सवाई माधोपुर	01	
30.	सीकर	01	
31.	सिरोही	01	
32.	टोंक	01	
33.	उदयपुर	01	
	कुल	**35**	
राज्य स्तरीय सेवा हेतु राज्य प्राधिकरण मुख्यालय जयपुर के लिए जाने वाले वाहन		03	

DAILY LOG SHEET FOR HIRED TAXI VEHICLES
(To be filled and Signed in Triplicate)

Vehicle No.	Date	Duty Start Time	Reporting Place	Opening KMs. reading	Details of Journeys undertaken	Closing KMs. Reading	Total KMs. Travelled (figures and Words)	Closing Time
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Vehicle require next
10
Place:
Date:
Time:

(Signature of OIC)
11
Name:
Date:

Scanned by CamScanner